

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री लालुराम खटीक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलोदा तहसील खमनोर राजसंमद जिनकी जन्मतिथि 20.08.1957 है, श्री लालुराम खटीक का स्वर्गवास होने के कारण दिनांक 04.08.2017 से इनकी राजकीय सेवाएँ समाप्त की गई थी, एवं इनकी राजकीय सेवाएँ सन्तोषजनक रही है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री लालुराम खटीक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/लालुराम/2017

दिनांक : 12-12-17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, उदयपुर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), राजसंमद
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलोदा (खमनोर) राजसंमद
6. आश्रित श्री लालुराम खटीक प्रधानाचार्य द्वारा जिशिअ मा. राजसंमद
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्रीमती रेखा जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढोल पंचायत समिति सायरा उदयपुर जिनकी जन्मतिथि 15.08.1959 है, तथा श्रीमती जैन द्वारा दिनांक 01.02.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहने के कारण इनको दिनांक 01.02.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त किया जाता है। एवं इनकी राजकीय सेवाएं सन्तोषजनक रही हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेखा जैन के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम --16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम --19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



नशमल डिडे

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/रेखा जैन/2017

दिनांक 11-12-17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, उदयपुर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), प्रथम उदयपुर
5. प्रधानाचार्य, राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढोल पंचायत समिति सायरा उदयपुर
6. श्रीमती रेखा जैन, प्रधानाचार्य, राज. उ. मा. वि. ढोल पंचायत समिति सायरा उदयपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर